कार्यालय महानिदेशक ,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः भ्रनिब्यूरो /सामान्य/2018/629-33 दिनांकः- 29-5-2018

-: निविदा विज्ञप्ति :-

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान जयपुर के भवन जे-9,झालाना संस्थानिक क्षैत्र स्थित कार्यालय भवन की साफ-सफाई का कार्य करवाने हेतु सीलबन्द लिफाफे में निविदा दरे आमन्त्रित की जाती हैं ।निविदा तकनिकी बीड एवम वित्तीय बीड में प्रस्तुत की जानी है । निविदा की अनुमानित लागत रुपये 3.00लाख होगी ।निविदा प्रपत्र **दिनांक 18 जून ,2018** का दोपहर 12.00 बजे तक बेचे जावेगे । इच्छुक निविदादाता कार्यालय समय में ब्यूरो भवन के कमरा नं0 ए-7 में कैशियर को रुपये 200/- नकद जमा करवा कर निविदा प्रपत्र एवं निर्धारित शर्ते प्राप्त कर सकते हैं ।निविदा प्रपत्र **दिनांक 18.06.2018** को दोपहर 2.00 बजे तक प्राप्त किये जावेगें एवम उसी दिवस को सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष तकनिकी बीड खोली जावेगी ।

निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट acb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है ।

पुलिस अधीक्षक(प्रशासन)
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजस्थान, जयपुर ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1- अति0 निदेशक सूचना एवं जन सर्म्पक निदेशालय ,राजस्थान, जयपुर को 8 प्रतियों में भेजकर लेख है कि इस निविदा सूचना का प्रकाशन नियमानुसार निर्धारित क्षैत्रिय समाचार पत्र में निविदा खोलने की तिथि से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रकाशित कराते हुऐ एक प्रति रिकार्ड हेतु विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें ।
2- उप अधीक्षक पुलिस(मुख्यालय)भ्रनिब्यूरो,जयपुर ।
3- सहायक लेखाधिकारी ,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर ।
4- प्रोग्रामर,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर को निविदा सूचना विभागीय बैवसाईट व SPPP पोर्टल पर अपलोड कर U B N नं0 जारी करवाने हेतु प्रेषित हैं ।
5- कैशियर,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर ।
6- नोटिस बोर्ड ।

29/5/18

पुलिस अधीक्षक (प्रशासन)

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान,जयपुर।

–1–

निविदा प्रपत्र

दूरभाष संख्या– 0141–2712263

निविदाएं दिनांक 18–06–2018 को सायं 2.00 बजे तक प्रशासनिक भवन के कमरा नं0 ए–2 में जमा करवायी जा सकेगी, प्राप्त निविदाएं उसी दिन सायं 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी।

निविदा प्रपत्र का मूल्य 200/– रूपये

परिशिष्ट-ए

वित्तीय बिड्

1- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर के कार्यालय भवन की साफ-सफाई एवं सेनेटरी कार्य के संविदा के लिए निविदा ।

2- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर

3- किसको सम्बोधित किया गया :-पुलिस अधीक्षक -प्रशासन,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ।

4- निविदा शुल्क की राशि 200/-रूपये नकद,रसीद संख्या ....दिनांक..... के द्वारा जमा करवाई गई हैं ।

5- हम-------------(फर्म का नाम) निविदा सूचना संख्या................... दिनांक-------- में वर्णित सभी शर्तो एवं संलग्न अतिरिक्त शर्तो को मानने हेतु बाध्य होना स्वीकार करते हैं ।उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार करने के प्रमाण में हमने निविदा की शर्तो पर हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

6- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भवन की सफाई एवं सेनेटरी कार्य के लिए हमारी दरें निम्नानुसार होगी :-

कं सं	कार्य का नाम	मासिक दर मय समस्त कर एवं प्रभार सहित (राशि अंको में)
1	2	3
1	जे-9 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के भवन सम्पूर्ण भवन(ए,बी,सी ब्लाक) की सफाई एवं सेनेटरी कार्य	

(राशि शब्दो में रुपये ....)

7- उक्त दरें सविदा होने की दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी इस अवधि को RTPP नियमो के अध्याधीन पारस्परिक सहमति से आगे बढाया जा सकेगा ।

8- अमानत राशि के पेटे बैंक ड्राफट /बैकर चैक संख्या.......... दिनांक ---- राशि -------रूपये संलग्न किया जा रहा हैं ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा की सामान्य शर्तें एवं नियमः-

निविदादाता को इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढकर एवं इनका पूर्ण रूपेण पालन करते हुए अपनी निविदाएं प्रस्तुत करनी होगीः-

(ए):-पात्रता (Eligiblity)

1. श्रम विभाग में पंजीयन हो (पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करे)
2. श्रम विभाग में पंजीकृत फर्म जिसे राजकीय,अर्द्धशासकीय भवनो में साफ-सफाई कार्य करने का लगातार तीन वर्षो का अनुभव होना आवश्यक होगा (अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करे) ।
3. निविदादाता को अमानत राशि के रुप में राशि रुपये 6000/- का बैंक ड्राफट/बैकर चैक/प्रतिभूति जो (पुलिस अधीक्षक- प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर के नाम देय होगा)प्रस्तुत करना होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त पात्रता(Elegibility Criteria) पूरी करने वाले योग्य निविदादाताओ जो की तकनीकी बिड में सफल होगे उन्ही की वित्त बीड खोली जावेगी। तकनीकी बीड में योग्य नहीं पाये जाने वाले निविदादाताओ की वित्तीय बीड नहीं खोली जावेगी।

(बी):- सामान्य शर्ते :-

1. इच्छुक निविदादाता कार्यालय समय में जे-9 झालाना संस्थानिक क्षैत्र जयपुर स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्यालय में से निविदा फार्म निविदा के प्रकाशन की तिथि से प्राप्त कर सकते हैं ।
2. निविदादाता को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशो के अनुसार उचित लिफाफे में निविदा प्रस्तुत करनी होगी ।
3. निविदाऐं 2 अलग-अलग लिफाफो में प्रस्तुत की जावेगी । प्रथम लिफाफा तकनीकी बीड तथा दूसरा वित्तीय बीड का होगा
4. प्रथम लिफाफे में निम्न प्रपत्र रखे जावेगें । :-

(ए)अनुभव प्रमाण पत्र

(बी)श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र

(सी)अमानत(बयाना)राशि रुपये 6000/- का बैकर चैक/ड्राफट /प्रतिभूति निक्षेप (बयाना राशि के अभाव में निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा ।)

(डी)मूल निविदा प्रपत्र एवम शर्ते (परिशिष्ठ-बी)जिस पर निविदादाताओ के हस्ताक्षर हो ।

5. द्वितीय लिफाफे में केवल वित्तीय बीड (परिशिष्ठ-ए)होगा जिसमें निविदादाता को अपनी दर अंको एवं शब्दो मे अंकित करनी होगी ।शब्दो एवं अंको में अन्तर होने पर RTPP नियम 64 के प्रावधान लागू होगें

6. दोनो लिफाफे को एक बडे लिफाफे में जिस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भवन की साफ-सफाई व सेनेटरी कार्य की निविदा लिखा हो, बन्दकर निविदा पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर के नाम से दिनांक 18.06.2018 को दोपहर 2.00 बजे तक विल्डिंग फेज-प्रथम के भू-तल के कमरा नं0 ए-2 में प्रस्तुत करनी होगी । देरी से प्राप्त निविदा अस्वीकार्य होगी ।

7. प्राप्त निविदाऐं दिनांक 18.06.2018 को सांय 4.00 बजे पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर के कक्ष में उपापन समिति द्वारा उपस्थित निविदादाओं या उनके प्रतिनिधियो के समक्ष खोली जावेगी । उसी दिन तकनिकी बीड का लिफाफा खोला जावेगा ।जिसे उपापन समिति जांच करेगीं ।

8. तकनिकी बीड में सफल निविदादाताओ को वित्तीय बीड खोले जाने के समय एवं दिनांक के सम्बन्ध में पृथक से सूचना भिजवा दी जावेगी ।तकनिकी रुप से सफल निविदादाताओ की ही वित्तीय बीड खोली जावेगी ।

9. असफल निविदादाताओं को उनकी बयाना,राशि शीघ्र लौटा दी जावेगी तथा सफल निविदादाता की बयाना राशि धरोहर राशि मे समायोजित की जावेगी ।

10. सफल निविदादाता को कार्यआदेश के जारी करने के तीन दिन में संविदा मूल्य की 05 प्रतिशत की राशि में से बयाना राशि कम करके शेष धरोहर राशि के रुप में जमा करवानी होगी तथा 500/-रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा । ऐसा नहीं करने पर अनुमोदित दरे निरस्त करदी जावेगी तथा बयाना राशि जप्त करली जावेगी

11. धरोहर राशि को सविदा की समाप्ती के एक माह बाद सन्तोषप्रद कार्य होने पर उनकी लिखित रुप से आवेदन करने पर लौटाई जावेगी ।

12. ठेकेदार , सफाई का कार्य का ठेका अन्य किसी दूसरे को सबलेट नहीं करेगा ।

13. सफाई की व्यवस्था के लिऐ पुलिस अधीक्षक-प्रशासन भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर द्वारा दिये समस्त आदेशो की पालना ठेकेदार को करनी होगी तथा बिना किसी विवाद के ठेकेदार को साफ-सफाई कार्य करना होगा ।

14. ठेके की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस स्थिति में विवाद पर पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा एवम ठेकेदार को मान्य होगा ।

15. ठेके की शर्तो का उलघंन करने पर उसकी धरोहर राशि जप्त की जावेगी ।

16. किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में समस्त कानूनी कार्यवाही ठेकेदार या किसी भी पक्ष (सरकार एवं सविदाकार)द्वारा संशय किये जाने की आवश्यकता होने पर न्यायिक क्षैत्र जयपुर होगा ।

17. ठेकेदार द्वारा नियुक्त सफाई कर्मचारीयो को दैनिक मजदूरी राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम नहीं दी जावेगी ।न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948(कैन्द्रीय अधिनियम 11,वर्ष 1948)के वैधानिक प्रावधानो की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा ।

18. न्यूनतम दरो को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्रनिब्यूरो,जयपुर को होगा ।

19. सफाई कार्य के विवरण में दिये गये सफाई कार्यो को करते समय यदि किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रुप से अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवम इसके लिए मुआवजा आदि देने का भार स्वयं ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जावेगा ।विभाग इसके लिऐ किसी भी प्रकार से मददगार अथवा जिम्मेदार नहीं होगा ।

20. ठेके की अवधि मे यदि सफाई कर्मचारी द्वारा हडताल की जाती है और ठेकेदार द्वारा इस अवधि में भ्र.नि.ब्यूरो,जयपुर के भवन की सफाई कार्यो में असमर्थ रहता है तो विभाग द्वारा अपने स्तर पर सवेदक की जोखिम एवम लागत पर सफाई करवाई जावेगी और सफाई करवाने में जो राशि व्यय होगी,वह राशि ठेकेदार को देय मासिक बिल मे से अथवा उसके द्वारा जमा करवाई गई अमानत राशि मे से समायोजित करली जावेगी ।

21. ठेकेदार द्वारा अपने सफाई कर्मचारीयो की हाजरी पंजिका भ्र0नि0ब्यूरो के प्रधान आरक्षी केन्द्र के प्रभारी के पास सुरक्षित उपलब्ध करवानी होगी ठेकेदार द्वारा अपने कर्मचारीयो को पहचान पत्र मय फोटो उपलब्ध करवाना होगा ।

22. राज्य में लागू श्रम नियमो के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिको का नियमानुसार ईपीएफ एवं ई एस आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा ।

23. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमो,उप नियमो व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशो की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा ।श्रम विधि के अर्न्तगत निर्धारित नियमो, उप नियमो,अधि सूचनाओ,दिशा निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति मे उसके परिणामो /दायित्वो के लिए संवेदक स्वंय उतरदायी होगा ।

24. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध / सर्न्दभ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ती या मुआवजा देने /ईएसआई करवाने /सामूहिक दुर्धटना बीमा कराने इत्यादी की जिम्मेदारी एवम् दायित्व संवेदक का होगा,इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

(सी) अमानत राशि से सम्बन्धित शर्ते :-

1. अमानत राशि निविदा के साथ इन शर्तो की पात्रता की शर्त सं0 3 के अनुसार जमा करवानी होगी ।
2. असफल निविदादाताओ को अमानत राशि निविदा को अन्तिम रुप से स्वीकार करने के बाद शीध्र ही लौटा दी जावेगी ।
3. निम्न लिखित मामलो में अमानत राशि (Earnest Money)समपहृत (Forfeiture) करली जावेगी ।

   (क)जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापिस लेता है या उसमें रुपान्तरण करता है ।

   (ख)जब निविदादाता निर्धारित समय के भीतर विहित किसी करार को निष्पादित नहीं करता है ।

   (ग)जब निविदादाता कार्य आदेश देने के बाद निर्धारित समय में प्रतिभूति (धरोहर)राशि जमा नहीं करता है ।

(डी)प्रतिभूति (धरोहर)राशि (Security Money) से सम्बन्धित शर्ते :-

1. सफल निविदादाता को 7 दिवस में ठेके की लागत के 5 प्रतिशत जो अमानत राशि से कम नहीं होगी धरोहर राशि जमा करवानी होगी यह राशि नकद/ड्राफट/बैकर चैक या अनुसुचित बैंक के विनिर्दिष्ट रुप-विधान में बैंक गारन्टी दी जावेगी । उक्त बेंक गारन्टी निविदा की मूल अवधि से 30 दिवस आगे तक विधि मान्य रहनी चाहिए । प्रतिभूति निक्षेप निविदा के समय ड्राफट/बैकर चैक पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर के नाम होगा ।

2. निविदा के समय जमा अमानत राशि को धरोहर राशि के लिए समायोजित किया जावेगा ।

3. धरोहर राशि पर ब्यूरो द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

4. निम्न लिखित मामलो में धरोहर राशि जप्त (Forfeit) करली जावेगी :-

(ए) जब सविदा के किन्ही निबंधनो और शर्तो का उल्लधंन किया गया हो ।

(बी) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो ।

(सी) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में यूक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जावेगा ।इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक-प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा ।

(ई):- कार्य सम्बन्धित शर्ते एवं विवरण :-

1. ठेकेदार को ब्यूरो मुख्यालय में पूर्णरुप से स्वच्छता रखनी होगी ।ठेकेदार को ब्यूरो भवन की सफाई कार्य हेतु कम से कम 4 सफाई कर्मी ब्यूरो में लगाने होगे ।

2. ठेकेदार को ब्यूरो मुख्यालय के ए,बी,सी,(तीनो)ब्लाक के भूमिगत तल भू-तल,प्रथम व द्वितीय तल तथा तृतीय तल स्थित समस्त कमरो,केन्टिन व भवन के चारो ओर कोरीडोर के अन्दर एक बार प्रतिदिन एवम बाहर यानि पोर्च,जीना,कोरीडोर,बालकॉनी आदि में 2 बार प्रतिदिन सफाई की जानी है ।जिसमें झाडू लगाना एवं फिर फिनाईल/साबुन पानी के घोल से पौचां लगाना होगा ।(सुबह 6 बजे से 9.30 बजे तक तथा सायं 3 बजे से 6 बजे तक)यह ध्यान रखा जावे कि कार्यालय में हर समय सफाई रहे । कोरीडोर,जीना,गेलेरी आदि की सफाई नहीं करने पर राशि रुपये 100/-प्रतिदिन,प्रतिब्लाक ,प्रतितल की दर से शास्ति आरोपित की जावेगी ।इसी प्रकार कमरे की सफाई नहीं होने पर राशि रुपये 10/-प्रतिदिन प्रति कमरा शास्ति आरोपित की जावेगी ।

3. ब्यूरो भवन के शौचालयो की सफाई दिन मे 2 बार की जावेगी ।जिसमें शौचालयो की फिनाईल/साबुन के पानी से धुलाई तथा आवश्यकता होने पर एसिड से सफाई करना सम्मलित है । ऐसा नहीं करने पर राशि रुपये 10/-प्रतिदिन प्रति बाथरुम शास्ति आरोपित की जावेगी ।

4. कार्यालय के समस्त यूरिन पोट में फिनाईल की गोलिया व वाशबैसिन पर साबुन प्रतिदिन उपलब्ध करवाना होगा । ऐसा नहीं करने पर शास्ति आरोपित की जा सकती हैं । जो अधिकतम राशि 200/-रुपये मासिक होगी ।

5. भवन परिसर की सडक तथा अन्दर एवम बाहर के फुटपाथ की सफाई भी प्रतिदिन करवानी होगी ।

6. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भवन की समस्त सिढियों की रैलिंग,पोर्च एवं चौक में स्थित रैलिग की सफाई भी प्रतिदिन करनी होगी ।

7. भवन के समस्त कमरो एवं पोर्च के दरवाजो,खिडकियो के शीशे,खिडकियो की सफाई प्रत्येक माह में 2 बार करनी होगी ।ऐसा नहीं करने पर शास्ति आरोपित की जावेगी ।जो राशि रुपये 250/- से अधिक नहीं होगी ।

8. भवन की बाहरी दिवारो पर लगे शीशे माह में एक बार साफ करवाने होगे । ऐसा नहीं करने पर राशि रुपये 500/-शास्ति आरोपित की जावेगी ।

9. भवन के समस्त तलो में स्थित वेशंन, ब्लाईण्ड की सफाई,पर्दो की सफाई प्रत्येक माह में एक बार करनी होगी ।वेशनब्लाईण्ड की सफाई का कार्य ब्रुश के साथ करना होगा ।भवन में स्थापित समस्त पीतल की सामग्री की सफाई ब्रासों के साथ माह में एक बार करनी होगी अन्यथा शास्ति आरोपित की जावेगी जो राशि रुपये 100/-से अधिक नहीं होगी ।

10. समस्त तलो पर थूकदान एव पीकदान की सफाई एवम उसमें मिटटी तथा राख का परिवर्तन प्रतिदिन करना होगा ।ऐसा नहीं करने पर शास्ति आरोपित की जावेगी जो राशि रुपये 50/-प्रतिदिन होगी ।

11. भूतल पर स्थित उधान में पानी की टेंक की सफाई 2 माह में एक बार करनी होगी ।ऐसा नहीं करने पर शास्ति राशि रुपये 300/-प्रतिमाह होगी ।

12. भवन पर नीली वर्दी में एक सफाई कर्मचारी कार्यालय समय में सुबह 9 से सायं 6.30 बजे तक उपलब्ध करवाना होगा ।

13. राजकीय अवकाश के दिनो में ठेकेदार को एक सफाईकर्मी उपलब्ध करवाना होगा तथा भवन के समस्त सडको एवं फुटपाथ की सफाई करवानी होगी ।

14. भवन में समस्त कमरो , कोरीडोर में स्थित टयूबलाईट फिक्सचर्स,पखें, लाईटो आदि की सफाई 03 माह मे एक बार करवानी होगी । ऐसा नहीं करने पर शास्ति राशि रुपये 500/- प्रतिमाह प्रति तल आरोपित की जावेगी ।

15. भवन के समस्त तलो पर स्थापित बोर्ड व चार्टो की सफाई सप्ताह में एक बार करनी होगी । ऐसा न करने पर शास्ति राशि रुपये 200/- प्रति माह आरोपित की जावेगी।

16. ठेकेदार को सफाई सम्बन्धित सामग्री फिनाईल, साबुन, झाडु,मिट्टी का तेल, होमोकोट, ऑडोनिल, फिनाईल की गोलियाँ,सुगन्धीत तेल, वाशिंग पॉउडर, टीपोल, पोचे, डस्टर, ब्रुश,ऐसिड,नमक का तेजाब आदि की व्यवस्था स्वंय के खर्चे से करनी होगी ।सफाई यन्त्र जैसे वेक्यूम क्लीनर,पोचा लगाने की मशीन एवं अन्य सफाई सामग्री यन्त्र की व्यवस्था स्वंय को अपने खर्चे से करनी होगी ब्यूरो मुख्यालय द्वारा कोई सामग्री/उपकरण उपलब्ध नहीं करवाई जावेगी ।

17. कार्य के दौरान शौचालयो में स्थापित नल,वैस्ट पाईप,स्स्टिन आदि में आई खराबी/टूटफुट की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।ठेकेदार को तुरन्त ठीक करवाना होगा ।तथा वाशवैशन यूरिनल पोट ,कमोड,जी आई पाईप मय फिटिंग एवं सिस्टन को ब्यूरो द्वारा उपलब्ध करवाने पर ठेकेदार द्वारा स्थापित किये जावेगे ।

18. समस्त तलो पर स्थापित मूत्रालय,निकासी पाईप वॉश वेसिनो की निकासी पाईप मूत्रालय,टंकीयो एवं पीवीसी पाईपो की देखभाल एवं समस्त शौचालयो के निकासी पाईपो व एवं अन्य निकासी पाईपो के चौक हो जाने पर उनकी सफाई तुरन्त करनी होगी ।

19. भवन के समस्त तलो पर स्थापित मोडयूलर स्सिटम में स्लाईडिग डोर की सफाई भी 2 माह में एक बार करवानी होगी ऐसा नहीं करने पर शास्ति राशि रुपये 200/-प्रति माह होगी ।

20. समस्त तलो की सफाई करवाने के बाद कूडा-करकट एवं कचरे उचित स्थान पर डालने की व्यवस्था अपने संसाधनो से ठेकेदार को स्वंय को करनी होगी ।

21. ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारीयो को किसी भी स्थिति में राज्य सरकार का दैनिक,अशंकालिक अथवा नियमित कर्मचारी नहीं माना जावेगा ।

(एफ) भुगतान संबंधी शर्तें:-

1. ठेकेदार द्वारा बिल दो प्रतियों में प्रतिमाह प्रस्तुत करने पर अगले माह की 15 तारीख तक भुगतान किया जावेगा।

2. कार्य सन्तोषप्रद होने पर प्रभारी सीपीएस द्वारा बिल के प्रमाणीकरण के बाद आयकर नियमों के अनुसार आयकर की कटौति करके भुगतान किया जावेगा।

(जी) ठेके की अवधि:-

1. ठेके की अवधि एक वर्ष की होगी जो अनुबन्ध की दिनांक से लागू होगी।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों,
राजस्थान, जयपुर ।

मैंने/हमने उपरोक्त शर्तो को ध्यान पूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप)

।। कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर ।।

-: तकनीकी बिड संबंधी दस्तावेज :-

क्र.सं	विवरण	हॉ	नहीं
1.	श्रम विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र (संलग्न)		
2.	अमानत राशि का बैंकर चैक(संलग्न		
3.	अनुभव प्रमाण-पत्र(संलग्न)		
4.	मूल निविदा प्रपत्र एवं शर्तो पर हस्ताक्षर		

निविदादाता के हस्ताक्षर